

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

दांडिक प्रकरण क0-552 / 13
संस्थित दिनांक 20 / 11 / 13
फाईलिंग नं0 233504000962013

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

भोलाराम पिता धनाराम कोकाटे, उम्र 45 वर्ष,
 जाति कुन्बी, पेशा कृषि, नि0 ग्राम पुरानी बोड़खी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0),

-----अभियुक्त.

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-22 / 02 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त भोलाराम के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 304 "ए" के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 18/07/13 के 12:00बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल मध्यप्रदेश अंतर्गत ग्राम कन्हड़गांव निमझिरी रोड पर मोटर साईकिल हीरोहोन्डा क्रमांक-एम.पी. 48 एम.ई. 8986 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर रवि की मोटर साईकिल को टक्कर मार दी जिससे रवि को चोटे आई एवं उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुयी जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता बताया कि दिनांक 18/07/13 को उसका लडका रवि कुमरे का ग्राम कन्हड़गांव एवं निमझिरी के बीच रोड पर मो0सा0 से एक्सीडेंट हुआ था जिससे रवि के सिर में चोट लगने को उपचार कराने मेन अस्पताल बैतूल उपचार कराने भर्ती किया था, वहां से उसी दिन रात में नागपुर उपचार कराने हाईटेक हास्पीटल लेजाकर भर्ती किया। नागपुर के डॉक्टर ने बोला कि आपका लडका सिरियस है ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नागपुर से रवि को कन्हड़गांव वापस लाते वक्त रास्ते में पांडुर्ना के पास उसका लडका फौत हो गया, उसकी लाश उसके घर कन्हड़गांव में रखी है उसके लडके की मौत एक्सीडेंट से आई चोट से हुई है।

3— प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट बनाई गई। जिसके आधार पर अप0क्रं. 254/13 अंतर्गत धारा 304 'ए' भा0दं0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मर्ग

इन्टीमेशन प्र0पी0 1 है। नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0 2 है। मृत्यु जांच पंचायतनामा बनाया गया है। पी0एम0 रिपोर्ट तैयार किया गया है। दिनांक 23/08/13 का घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 3 तैयार किया गया। दिनांक 06.10.13 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 5 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 6 बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—**

“आपने दिनांक 18/07/13 के 12:00बजे या उसके लगभग थाना आमला, जिला बैतूल मध्यप्रदेश अंतर्गत ग्राम कन्हड़गांव निमझिरी रोड पर मोटर साईकिल हीरोहोन्डा क्रमांक—एम.पी. 48 एम.ई. 8986 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर रवि की मोटर साईकिल को टक्कर मार दी जिससे रवि को चोटे आई एवं उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुयी जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी सोमा (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके लड़के पिछे से उसका छोटा भाई शिवपाल जा रहा था उसके भाई शिवपाल ने बताया कि रवि का एक्सीडेंट हो गया है खबर सुनकर वह पैदल घटना स्थल पर पहुँचा घटना स्थल से उसका घर दूर है लेकिन वह पैदल ही घटना स्थल पर पहुँचा उसने देखा कि उसका लड़का रवि खून से लथ—पथ था उसके सिर पर चोट लगी थी। घटना स्थल पर नारायण उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई मिला था। उसके लड़के की हालत देखकर वह भी घबरा गया था थोड़ा—थोड़ा होश में था। फिर वह लोग उसके लड़के को लिला अस्पताल बैतूल लेकर गये थे। वहाँ पर डॉक्टरी मुलाहिजा हुआ। मर्ग रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पंचायतनामा प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस जांच करने घटना स्थल पर आई थी लेकिन मौका नक्शा प्र0पी0 3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। स्वतः कहा कि पुलिस ने घर पर आकर नक्शा मौका बनाई थी।

7— आगे इस गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 3 में अस्वीकार किया है कि मोटर साईकिल एम0पी0 48 एम0ई0 8986 के चालक भोलाराम ने मोटर साईकिल तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर उसके लड़के रवि की मोटर साईकिल को टक्कर मार दी। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना नहीं देखी। उसे दुर्घटना के बारे में जानकारी नहीं है। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया

है कि उसे घटना के बारे में किसी ने कुछ बताया भी नहीं और ना ही घटना के बारे में किसी सी कोई बातचीत हुई है। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा एवं सूचक प्रश्नों के तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह ने घटना होते हुये नहीं देखा और ना ही घटना के संबंध में इसे कोई जानकारी है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य ने घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं करती है।

8— अभियोजन साक्षी मुन्नालाल (अ0सा02), अभियोजन साक्षी रमेश (अ0सा05) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों में घटना का समर्थन नहीं किया गया है।

9— अभियोजन साक्षी पारस (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय खेत पर था खेत से वह लोहार के यहां चला गया था, रात में उसे उसकी पत्नी ने बताया कि सोमा के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि घटना की उसे कोई जानकारी नहीं है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसे किसी ने यह भी नहीं बताया है कि किसकी मोटर साईकिल से एक्सीडेंट हुआ और उसका नम्बर क्या था। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल पर गया ही नहीं। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन साक्षी शिवलाल (अ0सा04) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह घर पर था, उसे पता चला कि उसके भतिजा रवि का कन्हड़गांव निमझिरी के बीच की मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया है। आगे इस गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 3 में यह अस्वीकार किया है कि उसने मोटर साईकिल क्रं. एम0पी0 48 एम0ई0 8986 बताया था। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उक्त मोटर साईकिल भोलाराम कोकाटे नि0 पुरानी बोडखी के द्वारा उसकी मोटर साईकिल तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर भतिजा रवि कुंभरे की मोटर साईकिल में टक्कर मारने से रवि के सिर में चोट लगने से इलाज के दौरान मौत हुई। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि घटना कैसे हुई किसकी गाड़ी से हुई यह उसने नहीं देखा। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना देखी ही नहीं उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने मोटर साईकिल हीरोहोन्डा क्रमांक—एम.पी. 48 एम.ई. 8986 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर रवि की मोटर साईकिल को टक्कर मार दी जिससे रवि को चोटे आई एवं उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुयी जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

12— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने मोटर साईकिल हीरोहोन्डा क्रमांक—एम.पी. 48 एम.ई. 8986 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर रवि की मोटर साईकिल को

टक्कर मार दी जिससे रवि को चोटे आई एवं उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुयी जो आपराधिक मानव वद्य की श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार अभियुक्त भोलाराम को भा0द0वि0 की धारा- 304 "ए" के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13- प्रकरण में अभियुक्त के धारा 313 द0प्र0सं0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर साईकिल हीरोहाण्डा क्रमांक एम0पी0 48 एम0ई0 8986 पूर्व से आवेदक/सुपुर्ददार मुन्नालाल पिता मोहनलाल, नि0 ग्राम बोड़खी की सुपुर्दगी में है। उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म0प्र0